



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं0 पटना 990) पटना, शुक्रवार, 3 दिसम्बर 2021

fcgkj fo/kku l Hkk l fpoky ;

अधिसूचना

2 दिसम्बर 2021

सं० वि०सं०वि०-27/2021-3338/वि०सं०।—“बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
शैलेन्द्र सिंह,
सचिव।

[वि०स०वि०-26/2021]

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह 01 अप्रैल 2021 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2021-22 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 20531,82,72,000 (बीस हजार पाँच सौ इकतीस करोड़ बयासी लाख बहत्तर हजार) रुपये की निकासी। - बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2021 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 20531,82,72,000 (बीस हजार पाँच सौ इकतीस करोड़ बयासी लाख बहत्तर हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।

3. विनियोग-1- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2021 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशि (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	57,55,72,000	0	57,55,72,000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	81,000	0	81,000
		पूँजी	0	0	0
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	3,00,47,000	0	3,00,47,000
		पूँजी	79,40,38,000	0	79,40,38,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	1,31,95,000	0	1,31,95,000
		पूँजी	0	0	0
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	31,79,88,000	0	31,79,88,000
		पूंजी	0	0	0
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	24,19,000	0	24,19,000
		पूंजी	14,00,00,000	0	14,00,00,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	4,40,20,000	0	4,40,20,000
		पूंजी	0	0	0
12	वित्त विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
15	पेंशन	राजस्व	2,19,14,000	3,12,63,000	5,31,77,000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	31,74,71,95,000	0	31,74,71,95,000
		पूंजी	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1,60,00,000	0	1,60,00,000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	25,34,00,000	0	25,34,00,000
		पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	4,30,60,000	0	4,30,60,000
		पूंजी	0	0	0
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	8,58,90,52,000	0	8,58,90,52,000
		पूंजी	1,000	0	1,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	77,44,01,72,000	0	77,44,01,72,000
		पूंजी	0	0	0
22	गृह विभाग	राजस्व	1,27,68,73,000	0	1,27,68,73,000
		पूंजी	3,37,00,01,000	0	3,37,00,01,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	1,88,53,19,000	0	1,88,53,19,000
		पूंजी	1,09,61,21,000	0	1,09,61,21,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	3,17,62,000	0	3,17,62,000
		पूंजी	0	0	0
27	विधि विभाग	राजस्व	25,53,75,000	0	25,53,75,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	9,51,02,000	9,51,02,000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	21,84,000	0	21,84,000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	2,57,70,000	0	2,57,70,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	8,00,41,000	0	8,00,41,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	65,12,000	0	65,12,000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	8,87,78,00,000	0	8,87,78,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	11,82,34,01,000	0	11,82,34,01,000
		पूँजी	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	37,47,27,000	0	37,47,27,000
		पूँजी	0	0	0
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	1,000	0	1,000
		पूँजी	4,00,00,00,000	0	4,00,00,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	54,54,00,000	0	54,54,00,000
		पूँजी	0	0	0
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	14,02,12,000	0	14,02,12,000
		पूँजी	0	0	0
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	59,32,00,000	0	59,32,00,000
		पूँजी	0	0	0
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1,14,33,000	0	1,14,33,000
		पूँजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
47	परिवहन विभाग	राजस्व	3,35,01,000	0	3,35,01,000
		पूंजी	0	0	0
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	18,53,17,21,000	0	18,53,17,21,000
		पूंजी	10,00,00,00,000	0	10,00,00,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	15,35,00,00,000	0	15,35,00,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	1,65,23,99,000	0	1,65,23,99,000
		पूंजी	0	0	0
योग राजस्व			1,55,78,83,74,000	12,63,65,000	1,55,91,47,39,000
योग पूंजी			49,40,35,33,000	0	49,40,35,33,000
महायोग			2,05,19,19,07,000	12,63,65,000	2,05,31,82,72,000

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 20531,82,72,000 (बीस हजार पाँच सौ इक्कीस करोड़ बयासी लाख बहत्तर हजार) रुपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।

(तारकेशोर प्रसाद),
भार-साधक सदस्य ।

पटना
दिनांक-02.12.2021

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 990-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>